संख्या-1/2018/274/एक-4-2018-रा०-4

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

(3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी,2018**

विषयः- राजस्व वादों के त्वरित/समयबद्ध/गुणवत्ता परक निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-डब्लू-699/1-12-2013-124 रिट/11 दिनांक 13.09.2013 में राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों के लम्बी अवधि तक लम्बित रहने से वादकारियों के हितों के प्रभाव पर प्रतिकूल पड़ने के दृष्टिगत राजस्व वादों को वरियता के आधार पर निस्तारित करने, राजस्व अधिकारियों द्वारा न्यायायिक कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पीठासीन अधिकारियों द्वारा वादों के प्रतिमाह निस्तारण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित कर अधिवक्ताओं के हड़ताल व न्यायलयों के बहिष्कार की स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय की गयी संवीक्षा अनुसार कार्यवाही करने के साथ ही जनपद/मण्डल स्तर पर राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा हेतु समिति गठित कर राजस्व वादों के गुणवत्ता परक निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे तथा यह भी अपेक्षा की गयी थी कि उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

2- उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-डब्लू-699/1-12-2013-124 रिट/11 दिनांक 13.09.2013 एवं समय-समय पर राजस्व परिषद द्वारा निर्गत आदेश का गम्भीरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण आज भी राजस्व न्यायालयों में लम्बी अवधि के राजस्व वाद लम्बित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है तथा राजस्व वादों का त्वरित/समयबद्ध/गुणवत्ता परक निस्तारण नही हो पा रहा है। जिससे वादकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाए योजित की जा रही है। अत: शासनादेश संख्या-डब्लू-699/1-12-2013-124 रिट/11 दिनांक 13.09.2013 में दिये गये दिशानिर्देश एवं निम्न निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें:-

(1) राजस्व वाद में सुनवाई के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद की सुनवाई न होने की स्थिति में आर्डर सीट पर सामान्य तिथियों का स्पष्ट कारण लिखा जाये।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी की प्रशासनिक कार्य की व्यस्तता के कारण राजस्व न्यायालय में उपस्थिति सम्भव न हो तो आर्डर सीट पर उस प्रशासनिक कार्य का स्पष्ट उल्लेख किया जायें।

(3) यदि राजस्व वादों की सुनवायी अधिवक्ताओं की हड़ताल/कार्य से विरत रहने की स्थिति में अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये पत्र एवं दिनांक का आर्डर सीट में स्पष्ट उल्लेख किया जायें। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा यह पाया जाये कि अधिवक्ताओं द्वारा अनावश्यक रूप से कार्य से विरत रहने के कारण न्यायिक कार्य में बाधा पड़ रही है तो जिलाधिकरी के माध्यम से इस बात को बार एसोसिएशन/मा० उच्च न्यायालय के संज्ञान मे लाया जायें।

(4) पीठासीन अधिकारी द्वारा आर्डर सीट पर स्वयं लिखा जायें। यदि लिखने में कोई परेशानी हो तो टाईप कराकर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायें।

(5) यदि अधिवक्ता व्यस्त हो या किसी कारणवश अनुपस्थित हो और वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हो तो दोनों पक्षों को सुनकर वाद को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जाये।

(6) विगत कुछ महीनों से मा० उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के सम्बन्ध में काफी मात्रा में रिट याचिकायें योजित की गयी है। जिसमें राजस्व न्यायालयों की कार्यशैली पर प्रश्न उठाये गये है। अत: सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने न्यायालय से सम्बन्धित समस्त लम्बित वादों का समयबद्ध रूप से शीघ्र निस्तारण करें। काफी समय से लम्बित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) यदि किसी प्रकरण में यह पाया जाता है कि पीठासीन अधिकारी की शिथिलता के कारण वाद का शीघ्र निस्तारण नही हो पा रहा है, तो उस पीठासीन अधिकारी पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(8) पूर्व निर्धारित व्यवस्थानुसार राजस्व वादों के त्वरित/समयबद्ध एवं गुणवत्ता परक निस्तारण का मण्डलीय स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकरी द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जायें राजस्व वादों की समीक्षा की जाये। ऐसे पीठासीन अधिकारियों को चिन्हित किया जाये जो न्यायिक कार्य में रूचि न ले रहे हो और जिनका वाद निस्तारण निर्धारित मानक अथवा दायरे के अनुरूप नही है। ऐसे पीठासीन अधिकारियों को वादों के निस्तारण हेतु कडे निर्देश दिये जाये तथा पुनरावृत्ति होने की दशा मे ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायें। जिलाधिकारी द्वारा की गयी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट मण्डलायुक्त/राजस्व परिषद को एवं मण्डलायुक्त द्वारा की गयी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट प्रत्येक माह राजस्व परिषद को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायें।

(9) उ०प्र० राजस्व आचार संहिता (यू०पी०एल०आर०एक्ट) में प्रत्येक प्रकार के राजस्व वादों के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। उस समय-सीमा का कडाई से अनुपालन किया जायें और यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितयों में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत वाद का निस्तारण सम्भव नही हो पाता है तो हर माह उक्त अपरिहार्य कारणों का जिक्र आर्डर सीट पर किया जायें।

कृपया इस सम्बन्ध मे पूर्व में निर्गत शासनादेशों एवं उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायें तथा समस्त पीठासीन अधिकारियों को आदेश की प्रति प्रसारित भी की जायें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।